रजिस्ट्री सं० डी० एल०–33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 27, 2005/माघ 7, 1926
No. 34] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 27, 2005/MAGHA 7, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2005

सं. 5/2005–सीमाशुल्क

सा.का.नि. 42(अ).——अमिहित प्राधिकारी, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 ।1975 का 51। की पहली अनुसूची के उपशीर्ष 2921 29 के अंतर्गत आने वाले **ईरान में मूलतः** उदगमित **या वहां से निर्यात किये गए हैक्सा मैथीलीन** टेट्रामाइन, जो की सामान्य रूप से हैक्सामाइन के नाम से जानी जाती है, **के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 24 दिसम्बर, 2002 में प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्ष** अधिसूचना सं0 14/35/2002-डीजीएडी, तारीख 23 दिसम्बर, 2002 **में इस** निर्णय पर **पहुंचे थे कि–**

।क। **ईरान में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किए गए** हैक्सामाइन का **भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है** जिसके कारण पाटन हुआ है ;

।ख। घरेलू उद्योग को क्षति हुई है;

।ग। यह क्षति ईरान से हुए आयातों के कारण हुई है;

और ईरान में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यात किये गए हैक्सामाइन के सभी आयातों पर, अंतिम निर्धारण होने तक, अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी ;

और अमिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने, सा0का0नि0 219 (अ), **तारीख 17 मार्च, 2003 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i),** तारीख 17 मार्च, 2003 **में प्रकाशित, भारत सरकार के तदेन वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 42/2003–सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च,** 2003 द्वारा हैक्सामाइन पर, **प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया था ;**

और अभिहित प्राधिकारी, अपने अधिसूचना सं0 14/35/2002-डीजीएडी, तारीख 17 सितम्बर, 2003, जो कि **भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 17 सितम्बर, 2003 में प्रकाशित हुई, द्वारा ईरान के मै0 सिन्हा कैमिकल्स इंडस्ट्रिज कं0 द्वारा दिये गए कीमत की वचनबद्धता को स्वीकार किए जाने के बाद जाँच का निलबंन किया था;**

अब अभिहित प्राधिकारी, अपने पाटनरोधी जॉचों की पुनः शुरूआत अधिसूचना सं0 14/35/2002-डीजीएडी, तारीख 15 अक्तूबर, 2004, जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 15 अक्तूबर, 2004 में प्रकाशित हुई द्वारा सिन्हा केमिकल्स इंडस्ट्रीज द्वारा दिये गए कीमत की वचनबत्रता को रद्द और 17 सितम्बर, 2003 के जॉच आदेश के स्थगन को रद्द करते हैं, तथा कीमत वचनबद्धत्रता के उल्लंघन के मद्देनजर, प्राधिकारी यह सिफारिश करते है कि ईरान के मूल की अथवा वहां से निर्यातित हैक्सामइन पर दिनांक 23 दिसम्बर, 2002 के प्रारंभिक जॉच परिमाणों में विनिर्दिष्ट अनंतिम पाटनरोधी शुल्क फिर से लगाया जाए;

और ईरान में **मूलतः** उदगमित **या वहां से निर्यात किये गए** हैक्सामाइन के सभी आयातों पर, पुनः अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (2) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 13, 15 (6) और 20 के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा द्वारा प्रदतत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिहित प्राधिकारी के उक्त निष्कर्षों के आधार पर अद्योलिखित सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित देशों में उदगमित, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए, ऐसे मालों पर, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के उपशीर्ष या टैरिफ मद के अंतर्गत आते है, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, और जिनकी विशिष्टता उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से, उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित राशि, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (11) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित करेंसी और उक्त सारणी के स्तंभ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रति मापन इकाई में व्यक्त है, उसी करेंसी और प्रति मापन ईकाई में व्यक्त, समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है ।

सारणी

क्रम सं0	उपशीर्ष	माल का विवरण	माल की विशिष्टता	उदगम देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	दरें	मापन ईकाई	करेंसी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	2921 29	हैक्सा मैथीलीन टेट्रामाइन जो कि सामान्य रूप से हेक्सा माइन के नाम से जाना जाता है	कोई भी विशिष्टता	ईरान	कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	122.53	मी. टन	अमरीकी डालर
2	2921 29	हैक्सा मैथीलीन टेट्रामाइन जो कि सामान्य रूप से हैक्सा माइन के नाम से जाना जाता है	कोई भी विशिष्टता	कोई भी देश	ईरान	कोई भी उत्पादक	कोई भी निर्यातक	122.53	मी. टन	अमरीकी डालर

2. इस अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटित शुल्क भारतीय करेंसी में संदेय होगा ।

स्पष्टीकरण:– इस अधिसूचना के अंतर्गत प्रतिपाटन शुल्क की संगणना के प्रयोजनों के लिए लागू " विनिमय दर " वह दर होगी जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय–समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है और " विनिमय दर " के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन " प्रवेश पत्र " के प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

[फा. सं. 354/3/2003–टीआरयू]
वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2005

No. 5/2005-CUSTOMS

G.S.R. 42(E).— Whereas in the matter of import of Hexa Methylene Tetramine, commonly known as Hexamine, falling under sub-heading 2921 29 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in or exported from Iran, the designated authority *vide* its preliminary findings notification No.14/35/2002-DGAD dated the 23rd December, 2002, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 24th December, 2002 had come to the conclusion that –

(a) Hexamine, originating in or exported from Iran has been exported to India below normal value, resulting in dumping;
(b) the domestic industry has suffered injury;
(c) injury has been caused by imports from Iran;

and had recommended imposition of provisional anti-dumping duty, pending final determination, on imports of Hexamine, originating in or exported from Iran;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty on the subject goods *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.42/2003-Customs, dated the 17th March, 2003, [G.S.R. 219(E), dated the 17th March, 2003], published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 17th March, 2003;

And whereas, the designated authority, *vide* its notification No.14/35/2002-DGAD, dated the 17th September, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 17th September, 2003, had suspended the anti-dumping investigations on acceptance of Price Undertaking given by M/s Sina Chemical Industries Co. of Iran.

Now, the designated authority, *vide* its notification No.14/35/2002-DGAD, dated the 15th October, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 15th October, 2004, has cancelled the price undertaking given by M/s Sina Chemical Industries Co. of Iran and withdrawn the suspension of investigation order dated 17th September, 2003, and recommended re-imposition of provisional anti-dumping duty, pending final determination, on imports of Hexamine, originating in or exported from Iran, as notified *vide* its preliminary findings notification No.14/35/2002-DGAD dated the 23rd December, 2002, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 24th December, 2002;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 13, 15(6) and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes on the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under sub-heading of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), the specification of which is specified in column (4) of the said Table, originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (5) , and produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (7), when exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (6), by the exporters as specified in the corresponding entry in column (8), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate as specified in the corresponding entry in column (9), in the currency as specified in the corresponding entry in column (11) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10), of the said Table.

TABLE

S.No.	Sub-heading	Description of goods	Specification	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	2921 29	Hexa Methylene Tetramine, commonly known as Hexamine	Any specification	Iran	Any country	Any producer	Any exporter	122.53	Metric Tonne	US Dollar
2.	2921 29	Hexa Methylene Tetramine, commonly known as Hexamine	Any specification	Any country	Iran	Any producer	Any exporter	122.53	Metric Tonne	US Dollar

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be payable in Indian currency.

Explanation. - For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the said Customs Act, and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/3/2003-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2005

सं. 6/2005-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 43(अ).—अभिहित प्राधिकारी, ने, चीन ताइपई, हांगकाग और सिंगापुर (जिन्हें इसमें इसके पश्चात संबद्ध देश भी कहा गया है) में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यातित, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं0 8507 के अंतर्गत आने वाले, सीसा अम्ल बैटरी (जिन्हें इसमें इसके पश्चात संबद्ध माल कहा गया है) के आयात के मामले में, अपने अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 31 जनवरी 2003 में प्रकाशित हुई, में इस निर्णय पर पहुंचे थे कि –

(क) संबद्ध देश से संबद्ध माल का भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया था ;

(ख) भारतीय उद्योग को तात्विक क्षति हुई थी और आगे भी तात्विक क्षति का खतरा था ;

(ग) यह क्षति संबद्ध देशों से हुए पाटित आयातों के कारण हुई थी;

और संबद्ध देशों में मूलतः उदगमित या वहां से निर्यातित संबद्ध माल के सभी आयातों पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की है;

और अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने, सा0का0नि0 297 (अ), तारीख 2 अप्रैल, 2003 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 2 अप्रैल, 2003 में प्रकाशित, भारत सरकार के तदेन वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 63/2003–सीमाशुल्क, तारीख 2 अप्रैल, 2003 द्वारा सीसा अम्ल बैटरी पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित किया था ;

और जबकि अभिहित प्राधिकारी ने अपने अधिसूचना सं0 15/11/2003-डीजीएडी तारीख 27 अप्रैल, 2004 द्वारा संबद्ध माल पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले की समीक्षा करने का निर्णय किया था ;

और जबकि अभिहित प्राधिकारी अपने समीक्षा मे, जो कि अधिसूचना सं0 15/11/2004-डीजीएडी तारीख 7 दिसम्बर, 2004 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 8 दिसम्बर, 2004 में प्रकाशित हुई, इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि–

(i) संबद्ध देश् के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध माल का भारत को निर्यात सामान्य मूल्य से अधिक कीमत पर किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप कोई पाटन नहीं हुआ है;

(ii) संबद्ध माल का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित निवल बिक्री प्राप्ति और क्षति रहित कीमत से अधिक है, इसलिए घरेलू उद्योग को आयातों के कारण वास्तविक क्षति नहीं हुई है;

(iii) संबद्ध देशों से संबद्ध माल पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृति होने की संभावना नहीं होगी ।

और अभिहित प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के मूल अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध माल पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को समाप्त करने की सिफारिश की है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 20 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तदेन वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 63/2003–सीमाशुल्क, तारीख 2 अप्रैल, 2003 (सा0का0नि0 297 (अ), तारीख 2 अप्रैल, 2003) की उन बातों के सिवाय जो ऐसे विखंडन से पूर्व की गई हैं या जिन्हें करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है ।

[फा. सं. 354/52/2002-टीआरयू]

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

294 GI/05–2

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2005

No. 6/2005-CUSTOMS

G.S.R 43(E).— Whereas, the designated authority, in the matter of import of lead acid batteries and falling under heading 8507 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from Chinese Taipei, Hong Kong and Singapore, (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority *vide* its final findings, Notification No.59/1/2001-DGAD, dated the 31st January, 2003 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 31st January, 2003, had come to the conclusion that –

(i) the subject goods had been exported to India from the subject countries below their normal value;

(ii) the Indian industry had suffered material injury and was facing threat of further injury;

(iii) the injury had been caused cumulatively by the dumped imports from the subject countries;

and had considered it necessary to impose anti-dumping duty, on all imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject countries, and imported into India;

And whereas on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty *vide* notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue), No. 63/2003-Customs, dated the 2nd April, 2003 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 2nd April, 2003 [G.S.R. 297(E), dated the 2nd April, 2003];

And whereas, the designated authority, *vide* notification No. 15/11/2004-DGAD, dated the 27th April, 2004, has initiated review in the matter of continuation of anti-dumping duty on the subject goods imposed *vide* notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue), No. 63/2003-Customs, dated the 2nd April, 2003;

And whereas, the designated authority vide its final mid-term review findings notification No. 15/11/2004-DGAD, dated the 7th December, 2004 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 dated the 8th December, 2004, in its review proceedings has concluded that-

(i) the subject goods originating in, or exported from the subject countries have been exported to India above normal value, resulting in no dumping;

(ii) the landed value of the subject goods is above the net sales realization and non-injurious price determined for the domestic industry, and therefore, domestic industry has not suffered material injury due to imports;

(iii) discontinuation of anti-dumping duties on the subject goods from subject countries is not likely to lead to the recurrence of injury to the domestic industry;

and has recommended discontinuation of the anti-dumping duties recommended earlier on all imports of the subject goods originating in, or exported from the subject countries;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Finance and Company Affairs (Department of Revenue), No. 63/2003-Customs dated the 2nd April 2003, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 2nd April 2003, *vide* number G.S.R. 297(E), dated the 2nd April 2003, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 354/52/2002-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.